**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**तारांकित प्रश्न सं. 304 का उत्तर**

**गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी में संपन्न होने वाले रेलवे संबंधी कार्य**

\***304. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे, गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी में दुर्घटना बीमा योजना सहित बहुत से कार्य कराए जाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऑनलाइन रेल दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत रेल यात्रियों से दुर्घटना बीमा के लिए अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(घ) यात्रियों को दुर्घटना के मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ङ) रेलवे को इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(च) क्या यह भी सच है कि रेलवे द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र से कराए जा रहे कार्य से गैर-सरकारी क्षेत्र भारी लाभ अर्जित कर रहा है?

**उत्तर**

**रेल और कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\*\***

गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी में संपन्‍न होने वाले रेलवे संबंधी कार्यों के बारे में दिनांक 23.03.2018 को राज्‍य सभा में श्री विशम्‍भर प्रसाद निषाद के तारांकित प्रश्‍न सं.304 के भाग (क) से (च) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क) और (ख): निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के माध्‍यम से निष्‍पादित करने के लिए कुछ चिह्नित क्षेत्र/क्रियाकलाप निम्‍नानुसार हैं:

1. पत्‍तनों के साथ फर्स्‍ट और लास्‍ट माइल रेल कनेक्‍टिविटी;
2. औद्योगिक/खनिज कलस्‍टर;
3. क्षमता संवर्धन परियोजनाएं;
4. फ्रेट टर्मिनल;
5. कंटेनर गाड़ियां, स्‍पेशल फ्रेट गाड़ियां, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर;
6. निवेश और चल स्‍टॉक को पट्टे पर देना।

 केंद्रीय बजट 2018-19 में यह घोषणा की गई है कि 600 मुख्‍य रेलवे स्‍टेशनों का पुनर्विकास पीपीपी माध्‍यम से भारतीय रेलवे स्‍टेशन विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया जा रहा है। चूंकि स्‍टेशनों के पुनर्विकास की योजना स्‍टेशनों और उनके आस-पास खाली पड़ी भूमि/नभ क्षेत्र के वाणिज्‍यिक विकास का लाभ उठाते हुए बनाई गई है, अत: इसके लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है। आमतौर पर इन परियोजनाओं पर रेलवे की कोई लागत नहीं होती है।

 जहां तक दुर्घटना बीमा योजना का संबंध है, इसके लिए रेल मंत्रालय के पूर्ण स्‍वामित्‍व के उपक्रम, आईआरसीटीसी ने 3 बीमा कंपनियों अर्थात (i) श्रीराम जनरल इन्‍श्‍योरेन्‍स कंपनी लिमिटेड, (ii) आईसीआईसीआई लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍श्‍योरेन्‍स कंपनी लिमिटेड और (iii) रॉयल सुन्‍दरम जनरल इन्‍श्‍योरेन्‍स कंपनी लिमिटेड से करार किया है, जो 01.09.2016 से इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्‍़म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले कन्‍फर्म्‍ड/आरएसी रेल यात्रियों से प्रति यात्री 0.92 रु. के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का बीमा कवर देते हैं।

(ग): 01.09.2016 से 09.12.2016 की अवधि के लिए यात्रियों से बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के रूप में 2.56 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। 10.12.2016 से डिजिटल/कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्‍क बीमा मुहैया कराया जा रहा है और आईआरसीटीसी से ऑनलाइन कन्‍फर्म्‍ड/आरएसी टिकट खरीदने पर यात्रियों से कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जा रहा है।

(घ): 01.09.2016 से 28.02.2018 की अवधि के लिए दुर्घटना कवरेज के रूप में यात्रियों को 3.43 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(ड.): जहां तक बीमा योजना का संबंध है, इसके लिए रेलवे द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत कोई राशि वसूल नहीं की गई है। आईआरसीटीसी द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान सीधे बीमा कंपनियों को किया जाता है।

(च): रेलवे के पास इससे संबंधित कोई सूचना नहीं है और रेलवे में इसे आकलित करने के लिए कोई तरीका नहीं है।

\*\*\*\*\*